

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम  
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत बली

निर्णय दिनांक:- 21.05.2015

1. नारायणसिंह पिता रूपसिंह रावत निवासी जस्साखेडा बाडिया अजमाला, तहसील भीम
2. किशनसिंह पिता भैरूसिंह रावत निवासी जस्साखेडा बाडिया अजमाला, तहसील भीम
3. भीमसिंह पिता भैरूसिंह रावत निवासी जस्साखेडा बाडिया अजमाला, तहसील भीम
4. गुमानसिंह पिता भैरूसिंह रावत निवासी जस्साखेडा बाडिया अजमाला, तहसील भीम
5. विरदसिंह पिता भैरूसिंह रावत निवासी जस्साखेडा बाडिया अजमाला, तहसील भीम
6. जमनी पत्नि भैरूसिंह रावत निवासी जस्साखेडा बाडिया अजमाला, तहसील भीम

**बनाम**


1. पन्नासिंह पिता संग्राम सिंह रावत निवासी जस्साखेडा बाडिया अमरती तहसील भीम।
2. राजूसिंह पिता पन्नासिंह रावत निवासी जस्साखेडा बाडिया अमरती तहसील भीम।
3. नरेन्द्रसिंह पिता पन्नासिंह रावत निवासी जस्साखेडा बाडिया अमरती तहसील भीम।

प्रकरण संख्या :- 73/2010 रे0वा0

अन्तर्गत धारा:- 188 व 183

उपर्युक्त प्रकरण में नारायणसिंह पिता रूपसिंह वगैरह निवासी जस्साखेडा बाडिया अजमाला तहसील भीम बनाम पन्नासिंह पिता संग्रामसिंह रावत वगैरह निवासी जस्साखेडा तहसील भीम का निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

अतः मौजा बली जस्साखेडा के आराजी खसरा नम्बर 1485 रकबा 02 बीघा 05 विस्वांसी किस्म बंझड भूमि एवं खसरा नम्बर 1522 रकबा 18 विस्वा बंझड भूमि पर वादीगणों की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगणों द्वारा सीमा चिन्हों को हटा देते हैं तथा उन्हें खुर्द बुर्द कर हमारी आराजियात पर अतिक्रमण करने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं तथा प्रतिवादीगण अवैध कब्जा कर निर्माण भी कर देते हैं अतः वादी एवं प्रतिवादीगण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प बली आपसी राजीनामे की भावना से समझाईश करने पर प्रतिवादीगणों को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा मौके से कब्जे को तुरन्त प्रभावन से हटाया जाकर आपसी राजीनामे से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय की पालना में तहसीलदार भीम को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
जिलाक अदालत  
न्याय आपके द्वार 2015